

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक-प. 11(1)गृह-1/2012

जयपुर, दिनांक : 15.10.2020

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15.10.2020 के अधिक्रमण में राजस्थान पुलिस सेवा नियम 1954 के नियम 6 के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस सेवा के हायर सुपरटाईम स्केल एवं सुपरटाईम स्केल के पदों का तुरन्त प्रभाव से दिनांक 31.03.2023 तक अथवा पात्र अधिकारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए निम्नानुसार एतद् द्वारा निर्धारण संशोधित किया जाता है:-

01	हायर सुपरटाईम स्केल (पीबी-4 रूपये 37400-67000) जीपी-9500	02
02	सुपरटाईम स्केल (पीबी-4 रूपये 37400-67000 जीपी-8700)	102

यह आज्ञा वित्त (व्यय-4) विभाग से उनकी आई0डी0 संख्या 102004219 दिनांक 09.10.2020 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की गई।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(रामनिवास मेहता)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, मा0 राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-4/नियम/मार्गोपाय) विभाग।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
8. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
9. लेखाधिकारी, गृह (ग्रुप-2) विभाग।
- ✓ 10. प्रोग्रामर, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।


15/10/2020
(गुरु प्रसाद शर्मा)

सहायक शासन सचिव, पुलिस